

शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बालाघाट (म0प्र0)



वर्ष 2023–24

संस्था एवं महिला छात्रावास में सुरक्षा एवं साफ–सफाई
व्यवस्था हेतु सुरक्षाकर्मी / चौकीदार, माली सह
सुरक्षाकर्मी / चौकीदार तथा महिला सफाईकर्मी हेतु निविदा
प्रपत्र

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) 481001

संस्था एवं महिला छात्रावास हेतु सुरक्षा एवं साफ-सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण**(अ) सामान्य जानकारी**

क्रमांक	निविदा प्रक्रिया का विवरण	तिथि	समय
1.	संस्था कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की तिथि व समय	24.01.2024	प्रातः 11:00 बजे से
2.	संस्था कार्यालय में निविदा जमा करने की तिथि व समय	24.01.2024	दोपहर 02:00 बजे
3.	संस्था कार्यालय में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	03.02.2024	सांय 05:00 बजे तक
4.	संस्था कार्यालय में निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) खुलने की तिथि व समय	06.02.2024	दोपहर 02:00 बजे

टीप :- निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.gpcbalaghat.ac.in के नोटिस बोर्ड से डाउनलोड करने पर राशि रु. 1,000/- (राशि रूपये एक हजार मात्र) संस्था के खाता क्र. 0038000100086701 (प्राचार्य, संस्था विकास निधि) पंजाब नेशनल बैंक बालाघाट IFSC- PUNB0003800 में जमा कर पावती प्रस्तुत करेंगे।

(ब) प्रपत्र एवं ईएमडी (धरोहर राशि) का विवरण

क्रमांक	प्रपत्र एवं ईएमडी	विवरण	राशि	रिमार्क
1.	निविदा प्रपत्र	सुरक्षा एवं साफ-सफाई व्यवस्था हेतु	रु. 1,000/-	कार्यालय में नगद जमा कर प्राप्त कर सकते है।
2.	ईएमडी (धरोहर राशि)	सुरक्षा व्यवस्था हेतु	रु. 43,000/-	अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राचार्य
3.	ईएमडी (धरोहर राशि)	साफ-सफाई व्यवस्था हेतु	रु. 5,000/-	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट के नाम से बना कर जमा करें।

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,
बालाघाट (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र जमा करने का पता :-

पता- कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,
जागपुर रोड़, बालाघाट
जिला-बालाघाट (म.प्र.) 481001
फोन नं.-07632-242443

// सुरक्षा एवं साफ-सफाई हेतु निविदा की शर्तें //**कार्य परिचय :-**

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट का संस्था परिसर एवं 50 सीटर महिला छात्रावास की सुरक्षा एवं साफ-सफाई हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट जिला मुख्यालय में वार्ड नं. 33, जागपुर रोड़ पर स्थित है। संस्था परिसर एवं महिला छात्रावास की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड तथा महिला छात्रावास की सम्पूर्ण साफ-सफाई हेतु महिला सफाईकर्मी हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा एवं साफ-सफाई निविदा हेतु महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है :-

निविदा की शर्तें

1. निविदाकार को महाविद्यालय परिसर हेतु 02 सुरक्षाकर्मी/चौकीदार तथा 01 माली सह सुरक्षाकर्मी/चौकीदार एवं महिला छात्रावास में सुरक्षा हेतु 03 सुरक्षाकर्मी/चौकीदार एवं महिला छात्रावास की साफ-सफाई हेतु 01 महिला सफाईकर्मी उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में संस्था से प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000/- है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.gpcbalaghat.ac.in के नोटिस बोर्ड से डाउनलोड करने पर राशि रु. 1,000/- संस्था के खाता क्र. 003800010008670 (प्राचार्य, संस्था विकास निधि) पंजाब नेशनल बैंक बालाघाट IFSC - PUNB0003800 में जमा कर पावती प्रस्तुत करेंगे।
3. निविदाकार अथवा उसकी फर्म का विगत 03 वर्षों का औसत टर्न ओवर राशि रुपये 50 लाख होना चाहिये। इस हेतु विगत 03 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में वार्षिक टर्न ओवर रुपये 50 लाख का संलग्न प्रपत्र 04 में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें।
4. निविदाकार द्वारा विगत 03 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) का इंकम टेक्स रिटर्न अथवा पावती की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. निविदा प्रपत्र के साथ सुरक्षा गार्ड हेतु धरोहर राशि रुपये 43,000/- तथा साफ-सफाई हेतु सफाईकर्मी हेतु धरोहर राशि रुपये 5,000/- का डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंको से प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बालाघाट के नाम से जमा करना अनिवार्य है। चेक अथवा नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। एक ही निविदाकार/फर्म/एजेंसी होने पर रु. 48,000/- का एक मुश्त डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर सकते हैं। ईएमडी (धरोहर राशि) जमा न करने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
6. निविदाकर्ता फर्म को किसी भी संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो तथा किसी संस्थान के विरुद्ध याचिका न्यायालय में लंबित नहीं होने का नवीनतम नोटरारिज्ड शपथपत्र निविदा जारी होने के बाद की तिथि का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र जमा न करने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
7. सुरक्षा तथा साफ-सफाई व्यवसाय से संबंधित जीवित पंजीयन प्रमाणपत्रों की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय/कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र एवं पेन कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. विगत 05 वर्षों में शासकीय विभागों एवं स्वायत्त संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों में सुरक्षा व्यवस्था एवं साफ-सफाई कार्य संबंधी अनुभव प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न प्रपत्र 5 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
11. तकनीकी एवं वित्तीय बिड, निविदा प्रपत्र अनुसार भरकर अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड या वित्तीय बिड अंकित करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोले जायेंगे तथा इसमें योग्य पाये जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
12. वित्तीय बिड में राशि पूर्णांकों (अर्थात् दशमलव के बाद के अंकों में न हों) में ही उल्लेखित की जाये।
13. निविदा में एक से अधिक एजेंसी की दरें एक समान होने की स्थिति में निविदाकर्ता का विगत 05 वर्षों में शासकीय विभागों एवं स्वायत्त संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों में सुरक्षा व्यवस्था एवं साफ-सफाई में अधिक कार्य अनुभव रखने के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
14. शर्त क्रमांक 13 के अनुसार अनुभव समान होने की स्थिति में जिस निविदाकार द्वारा विगत 05 वर्षों में अधिक संख्या में शासकीय विभागों एवं स्वायत्त संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों में कार्य किया गया हो, उस निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
15. शर्त क्रमांक 14 के अनुसार अनुभव समान होने की स्थिति में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल में पंजीकृत तथा नियमित अंशदान अदायगी वाले निविदाकार की वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल में पंजीयन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. पी.एफ./ईपीएफ इत्यादि जमा करने की जबावदारी संबंधित अनुबंधित एजेंसी की होगी, जिसकी प्रमाणिक जानकारी माहवार संस्था को उपलब्ध करानी होगी।
17. सफल निविदाकार की धरोहर राशि, संस्था में निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में जमा रहेगी, जिसे अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर एजेंसी को लौटाया जा सकेगा। इस राशि पर संस्था द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
18. एजेंसी द्वारा रखे गये सुरक्षाकर्मियों तथा सफाईकर्मियों का बैंक में खाता खुलवाकर बैंक के माध्यम से प्रतिमाह भुगतान करना होगा।
19. अनुबंधित एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि अपने सुरक्षाकर्मियों/सफाईकर्मियों को कलेक्टर/श्रम आयुक्त (जो लागू हो) द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर, जो नियमानुसार एवं विधि सम्मत हो से कम भुगतान न करें।
20. निविदाकर्ता द्वारा शर्तें न मानने एवं सेवायें संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त कर जमा की गई प्रतिभूति राशि संस्था द्वारा राजसात कर ली जावेगी।
21. जिस भी निविदाकार की निविदा संस्था के द्वारा स्वीकार की जावेगी उस निविदाकार को विधि सम्मत अनुबंध करना होगा, जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

22. सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकर्मी गैर कानूनी कार्य कलापों में लिप्त पाया जाता है अथवा उनके द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी/विद्यार्थी के साथ अभद्रता की जाती है अथवा किसी सामान की चोरी करता पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्था को यह अधिकार होगा, कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही करते हुये तत्काल उसे हटा दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में संस्था को हुये वित्तीय नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी तथा उन्हें उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी 03 दिन में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
23. अनुबंध 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध अवधि में 01 वर्ष तक की वृद्धि पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। परंतु उक्त वृद्धि किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
24. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रमुख के पास सुरक्षित रहेगा।
25. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में दंड स्वरूप निष्पादन प्रतिभूति में से संस्था के द्वारा 10 प्रतिशत राशि का कटोत्रा किया जावेगा।
26. संस्था परिसर हेतु 02 सुरक्षाकर्मी/चौकीदार तथा 01 माली सह चौकीदार/सुरक्षाकर्मी एवं महिला छात्रावास हेतु 03 सुरक्षाकर्मी एवं 01 महिला सफाईकर्मी की सेवाओं की आवश्यकता है। अतः वे सौम्य, मधुरभाषी, मेहनती एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये।
27. माली सह चौकीदार/सुरक्षाकर्मी की सेवाएं सिर्फ दिन में ली जावेगी, जिसे संस्था परिसर के गार्डन की देखरेख के साथ-साथ परिसर की सुरक्षा करनी होगी तथा उसे गार्डनिंग का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये। इस हेतु नियुक्त किये गये कर्मी को गार्डनिंग से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
28. महिला छात्रावास में नियुक्त सफाईकर्मी को महिला छात्रावास एवं उसके खुले परिसर की दिन में दो बार सफाई करना अनिवार्य होगा। अतः निविदाकर्ता को साफ-सफाई सामग्री भी उपलब्ध कराना होगा। विस्तृत विवरण स्कोप ऑफ वर्क परिशिष्ट-अ अनुसार होगा।
29. संस्था में स्थापित महिला छात्रावास में बाथरूम, शौचालय, पेशाबघर की सफाई दिन में दो बार करना आवश्यक होगा तथा सफाई में लगने वाली आवश्यक सामग्री निविदाकार द्वारा अनिवार्य रूप से रखी जावे। स्कोप ऑफ वर्क परिशिष्ट-अ अनुसार होगा। बाथरूम में स्थापित फर्श, टाईल्स, टायलेट शीट को प्रतिदिन हार्पिक/फिनाइल इत्यादि से सफाई करना आवश्यक होगा।
30. महिला छात्रावास भवन के समस्त कक्षों एवं सीढ़ियों में झाडू एवं फिनाइल सहित पोछा दिन में दो बार अथवा निर्देशानुसार लगाना होगा।
31. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अथवा अन्य कारण से यदि कोई वाद उत्पन्न होता है, तो उसका निराकरण संस्था प्रमुख के निर्णय द्वारा किया जावेगा। उनका निर्णय अंतिम होगा।
32. निविदा स्वीकृति उपरांत यदि निविदाकार को जारी कार्य आदेश स्वीकार करने में असमर्थता दर्शायी जाती है तो निविदा की धरोहर राशि (ईएमडी) संस्था द्वारा राजसात की जावेगी।
33. वांछित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में निविदा अमान्य की जावेगी।

34. निविदाकार द्वारा पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति संस्था द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
35. न्यायालयीन वाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट रहेगा।
36. सिक्युरिटी सर्विस का 2005 के अधीन सिक्युरिटी सेवार्थ लायसेंस का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
37. **सुरक्षा कर्मी/चौकीदार, माली सह चौकीदार/सुरक्षाकर्मी तथा महिला सफाईकर्मी की कार्य अवधि प्रतिदिन 08 घण्टे होगी।**
38. सफल निविदाकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। जिसका व्यय निविदाकार के द्वारा वहन करना होगा। अनुबंध प्रारूप संलग्न है।
39. सुरक्षाकर्मी का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है तथा सुरक्षा कर्मी का मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना चाहिये है।
40. एजेंसी द्वारा सुरक्षाकर्मी को वर्दी, व्हिशिल, डंडा, जूता, टार्च, मोबाईल फोन, परिचय पत्र एवं अन्य सुरक्षा उपायों सहित उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षाकर्मी तथा सफाईकर्मी को वर्दी तथा पहचान पत्र पहनकर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।
41. सुरक्षा तथा साफ-सफाई की निविदा लिफाफों में सील बंद कर कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करे।
42. अनुबंध की अवधि में आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षाकर्मी/सफाईकर्मी की सेवाएं महाविद्यालय में कहीं पर भी ली जा सकती है एवं अनुबंध की अवधि में परिसर की चल व अचल संपत्ति आदि की सुरक्षा की पूरी जवाबदारी चयनित निविदादाता की होगी।
43. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय संस्था प्रमुख का होगा, प्राचार्य के पास नियमों या शर्तों को शिथिल करने या निविदा को निरस्त करने या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
44. निविदा में भाव पत्र (वित्तीय बिड) निर्धारित **प्रपत्र क्रमांक 3** में मान्य होगी, जिसे अलग **लिफाफे बी** में सीलबंद कर मुख्य **लिफाफे ए** में रखना होगा। **लिफाफा ए** जिसमें समस्त दस्तावेज तथा सीलबंद लिफाफा बी रखा होगा, को पहले खोला जायेगा। तत्पश्चात् सभी दस्तावेज सही पाये जाने पर ही लिफाफा बी खोला जायेगा।
45. सफल निविदाकर्ता को शर्त क्रमांक 1 के अनुसार प्रदाय की जानेवाली सेवायें हेतु उनके द्वारा दिये जा रहे भाव-पत्र में वर्णित कुल निविदित राशि प्रतिमाह का भुगतान किया जावेगा। सफल निविदाकार को संस्था द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उनके द्वारा उस माह में दी गई सेवाओं का भुगतान निविदाकार के बैंक खाते में कर दिया जायेगा। (अतः वर्णित आवश्यक सुरक्षा/साफ-सफाई सेवा हेतु निविदाकर्ता को कितने सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता होगी, इसका आकलन स्वयं करें)
46. साफ-सफाई हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरणों का विवरण स्कोप ऑफ वर्क परिशिष्ट-अ अनुसार निविदाकार को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु संस्था द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान निविदाकार को नहीं किया जावेगा।
47. निविदा खुलने की तिथि एवं समय पर निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। अंतिम तिथि के पूर्व तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करना होगा। **अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।**

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेकनिक महाविद्यालय
बालाघाट (म0प्र0)

प्रपत्र-1



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)

(निविदा प्रपत्र सुरक्षाकर्मी/चौकीदार, माली सह सुरक्षाकर्मी/चौकीदार तथा महिला सफाईकर्मी हेतु तकनीकी निविदा आवेदन)

1. फर्म/एजेंसी का नाम -
2. फर्म/एजेंसी के प्रोपराइटर का नाम -
3. कार्यालय का पता-
4. मोबाईल/टेलिफोन नं.-
5. ईमेल आईडी-.....
6. फर्म का कार्य संबंधित पंजीयन क्रमांक एवं पंजीयन स्थान -
7. फर्म/एजेंसी का पेन कार्ड-
8. जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक-
9. कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक-.....
10. बैंक खाता क्रमांक-
11. बैंक खाते का प्रकार-
12. बैंक का नाम व पता (आईएफएससी कोड सहित)-
-
13. अनुभव प्रमाणपत्र (विगत 05 वर्षों का) -
14. सिक्यूरिटी सर्विस का 2005 के अधीन सिक्यूरिटी सेवायें लायसेंस का प्रमाणपत्र -
15. विगत 03 वर्षों की इंकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति -
16. विगत 03 वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर की जानकारी -
17. राष्ट्रीकृत बैंक का निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक/ -
18. ब्लैक लिस्टेड नहीं होने तथा किसी संस्थान के विरुद्ध याचिका न्यायालय में लंबित नहीं होने का नवीनतम नोटोराइज्ड शपथ पत्र -.....

प्रोपराइटर यहाँ अपना नवीनतम फोटो चस्पा करें।

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं, कि मुझे/हमने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट की संलग्न समस्त निविदा शर्तें (01 से 47) भलीभांति पढ़ ली है, जो कि हमें/मुझे मंजूर है। मैं पूर्णतः सहमत हूँ एवं शर्तें मान्य करने के लिए बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

संलग्न :-

1. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट तथा दस्तावेजों की क्रमानुसार स्व सत्यापित छायाप्रति।,
 2. भाव पत्र (वित्तीय बिड) लिफाफे बी में सीलबंद, जिसके उपर वित्तीय बिड अंकित हो।
- (नोट-इस तकनीकी निविदा प्रपत्र 1 के साथ चेकलिस्ट अनुसार समस्त दस्तावेज तथा सीलबंद लिफाफा बी जिसमें भावपत्र रखा हो, को एक बड़े लिफाफे (जिसका नाम लिफाफा ए) में रखकर सीलबंद कर निर्धारित समयावधि में संस्था कार्यालय में जमा करना होगा।)

स्थान -

दिनांक -

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

पूर्ण पता

सील

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0) 481001

सुरक्षा/साफ-सफाई सेवार्यें प्रदान करने हेतु निविदा की तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र 1 के साथ संलग्न किये जाने अनिवार्य दस्तावेज की चेक लिस्ट

प्रपत्र -2

क्र.	विवरण	संलग्न है/नहीं है (स्पष्ट उल्लेख करें)
1.	फर्म का कार्य संबंधित पंजीयन का प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति	
2.	पेनकार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति (फर्म या स्वयं का पैन कार्ड जिस पर जी एस टी रजिस्ट्रेशन हो)	
3.	जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति	
4.	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति	
5.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति	
6.	फर्म के बैंक खाता की नवीनतम पासबुकक की स्व सत्यापित छायाप्रति	
7.	विगत 05 वर्षों में शासकीय विभागों एवं स्वायत्त संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों में साफ-सफाई में कार्य संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति निर्धारित प्रपत्र 5 में	
8.	सिक्चरिटी सेवार्यें लायसेंस का जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति	
9.	पिछले 03 वित्तीय वर्षों का इनकम टेक्स रिटर्न एवं पावती की स्व सत्यापित छायाप्रति	
अ)	वर्ष 2020-21	
ब)	वर्ष 2021-22	
स)	वर्ष 2022-23	
10.	विगत 03 वर्षों (2020-21, 2021-22 व 2022-23) में औसत टर्न ओवर रु. 50 लाख का चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सत्यापित प्रमाणपत्र (प्रपत्र 04 में)	
11.	राष्ट्रीकृत बैंक का निर्धारित राशि (धरोहर राशि) का डिमांड ड्राफ्ट	
12.	ब्लैक लिस्टेड नहीं होने तथा किसी संस्थान के विरुद्ध याचिका न्यायालय में लंबित नहीं होने का नवीनतम नोटोराइज्ड शपथ पत्र	
13.	फर्म/एजेंसी के लेटर हेड पर भाव पत्र (प्रपत्र 03 में) सीलबंद लिफाफा बी में प्रस्तुत करें	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0) 481001

सुरक्षा/साफ-सफाई सेवार्यें प्रदान करने हेतु निविदा की
वित्तीय बिड (भाव पत्र)

प्रपत्र -3

क्र.	विवरण	दर/रेट प्रति कर्मी/प्रतिमाह (पूर्णाकों में) (रूपये में)
1.	सुरक्षाकर्मी/चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु मासिक दर (08 घंटे प्रतिदिवस) जिसमें समस्त प्रकार के यथा कर्मचारी बीमा की राशि/सेवा कर/ अन्य कोई कर भी शामिल हो।	
2.	माली सह सुरक्षाकर्मी/चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु मासिक दर (08 घंटे प्रतिदिवस) जिसमें समस्त प्रकार के यथा कर्मचारी बीमा की राशि/सेवा कर/ अन्य कोई कर भी शामिल हो।	
3.	सफाईकर्मी उपलब्ध कराने हेतु मासिक दर (08 घंटे प्रतिदिवस) जिसमें समस्त प्रकार के यथा कर्मचारी बीमा की राशि/सेवा कर/ अन्य कोई कर/सफाई सामग्री (जिसकी सूची परिशिष्ट अ सामग्री तथा कार्य की सूची में दिया है) की राशि भी शामिल हो।	

नोट :-

1. यह भावपत्र फर्म/एजेंसी के लेटर हेड पर दिया जावे।
2. उक्त दरों में किसी भी प्रकार की काटछॉट व ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. इस भाव पत्र को सीलबंद लिफाफे बी में रखे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील

प्रपत्र -4
अंकेक्षित लेखों का सारांश

प्रमाणित किया जाता है, कि मेसर्स
पता के विगत 03 वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य अर्थात (संस्था की सुरक्षा/साफ-सफाई कार्य) का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है :-

क्र.	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंकों में)
1.	2020-21		
2.	2021-22		
3.	2022-23		
कुल:-			

टीप:- शब्दों एवं अंकों में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपयुक्त आवर्त की गणनायें मेरे द्वारा स्वयं जांची गई है। जिसे शासकीय पौलीटेकनिक महाविद्यालय, बालाघाट की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में प्रमाणित करता हूँ।

स्थान.....

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का नाम

दिनांक.....

फर्म का पदमुद्रा

प्रपत्र -5

॥ अनुभव प्रमाण पत्र ॥

साफ-सफाई एवं सुरक्षा कार्य के क्षेत्र में विगत 05 वर्षों के अनुभव की जानकारी:-

निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता:-

.....

सं. क्र.	वर्ष	संस्था/विभाग का नाम जहाँ साफ-सफाई एवं सुरक्षा एवं माली संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह
			दिनांक से	दिनांक तक	
01	2018-19				
02	2019-20				
03	2020-21				
04	2021-22				
05	2022-23				

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

साफ-सफाई में प्रयुक्त उपकरण एवं सामग्री

1. टेलस्कोप रॉड (जाले निकालने के लिए)
2. दस्ताने एवं मास्क।
3. झाड़ू, खराटा, पोछा का कपड़ा।
4. वाशरूम सफाई ब्रश।
5. फिनाइल, हार्पिक, वाशिंग पाउडर एवं अन्य सामग्री/उपकरण जो स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार प्रयोग में लाये जायेंगे।

स्कोप ऑफ वर्क

क्र.	नेम/नेम ऑफ वर्क/एक्टिविटी	आवर्ती/ प्रतिदिन	
1.	साफ-सफाई/झाड़ना/पोछा इत्यादि का कार्य, कार्यालय/छात्रावास के प्रत्येक कक्ष में किया जाना है। छात्रावास की खिड़कियों, दीवारों, पंखे, फर्नीचर एवं फिक्सचर बिजली के उपकरणों, शीशों इत्यादि भी शामिल है।	प्रतिदिन	सुबह एक बार
2.	छात्रावास के समस्त वाशरूमों की साफ-सफाई, जीवाणु रहित करना। जिसमें फर्श दीवारों की सफाई वाशबेसिन, टायलेट सीट, शीशों, यूरीनल, डस्टबिन इत्यादि की साफ-सफाई करना।	प्रतिदिन	दिन में दो बार
3.	टायलेट में सामग्री जैसे नेफथलीन गोलियों, लिक्विड सोप (साबुन) ओडोनील इत्यादि की नियमित/सतत् सप्लाई रखना।	प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार	सामग्री समाप्त होने पर पुनः प्रतिस्थापित करना।
4.	कचरे का एकत्रीकरण एवं समुचित निष्पादन करना	प्रतिदिन	सुबह एवं शाम दो बार